न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना

ीठासीन अधिकारी :– श्री अन्जुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी सिवाना

ु.न. 10/17

प्रार्थीगण

1. गेबाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार
2. जैसाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार
3. दीपाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार
4. चूनाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार
5. मूलाराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार

   निवासीयान इटवाया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. दुर्गाराम पुत्र भुराराम जाति मेघवाल
2. उकाराम पुत्र भुराराम जाति मेघवाल
3. भोपाराम पुत्र भुराराम जाति मेघवाल
4. रूपाराम पुत्र बांकाराम जाति मेघवाल

   निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
5. मैनेजर एसबीबीजे शाखा पादरू
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम कायम करवाने बावत् रास्ता

उपस्थित :– 1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता विप्रार्थीगण

–: आदेश :–

दिनांक :– 18.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए का प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ईटवाया पटवार मण्डल पादरू तहसील सिवाना में स्थित खसरा नम्बर 1006 रकबा 70.10 बीघा किस्म धोरा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के आवगमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के बदिशा उत्तर में स्थित में विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1009 की भूमि के बदिशा पूर्वी माठ माठ से होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग तक जाया जाता है। प्रार्थीगण के खेत मे आवगमन के रास्ता सुस्पष्ट करने हेतु संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" पेश किया है जिससे मार्क ए से बी बरंग लाल रास्ता जो प्रार्थीगण के खेत से राजस्व सडक मार्ग से 250 मीटर दूर है से आवगमन करते है यह मार्ग विगत पीढीयो से सुचारू रूप से खुला है उक्त बरंग लाल रास्ते पर आवगमन के बाबत विप्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी ने कभी कोई आपत्ति नही की लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थीगण मौके पर विरोध पैदा करने हेतु आमदा हुए तथा इसी रास्ते मार्क ए से बी बरंग लाल से प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, हल, कृषि औजार को लाने ले जाने तथा आवगमन करते रहे है

Scanned by CamScanner

इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" बरंग लाल रास्ता ही प्रार्थीगण के खेत में आवगमन का एक मात्र सडक मार्ग से सबसे नजदीकी रास्ता हैं, उक्त रास्ता मौके पर चालू हालात यथावत चल रहा है उक्त रास्ता मौके पर चालू हालात यथावत चल रहा है संलग्न परिशिष्टि 'अ' बरंग लाल 12 फीट चौडा रास्ता को कटाण मार्ग घोषित करने के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई

तहसीलदार सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2017/32 दिनांक 11.01.2018 के द्वारा प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

विप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री किशोरीलाल सोनी द्वारा जवाब मय फोटो ग्राफ प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि खसरा संख्या 1001 में से रास्ता मौजूद है जो तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है तथा वैकल्पिक रास्ता होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया साथ ही मौका रिपोर्ट पर आपत्ति कर तहसीलदार सिवाना से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया ।

विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर पत्रांक राजस्व/2017/498 दिनांक 13.04.2018 द्वारा प्रस्तुत की गई।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी । दौरान बहस प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत में आवगमन हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार रास्ता घोषित किया जावे। विप्रार्थीगण के वकील ने दौरान बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 1009 में न होकर खसरा संख्या 1001 में है ऐसी स्थिति में रास्ता का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन व मनन किया तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत दोनो मौका जांच रिपोर्ट को अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण के खेत में आने –जाने हेतु कोई कटाण रास्ता नहीं होना बताया प्रार्थीगण ने खेत खसरा संख्या 1006 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1009 की पूर्वी माढ पर 12 फीट चौडा रास्ता की मांग की है जो भाटा पादरू सडक से खसरा नम्बर 1006 में प्रवेश होने तक चाहा गया है। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1006 में आने–जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है तथा मौके पर रास्ता के निशान मौजूद है। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1006 में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है संलग्न नक्शे में बताये गये बिन्दू ए से बी तक खसरा नम्बर 1009 की पूर्वी माढ पर 12 फीट चौडाई में दिया जाना उचित बताया गया जिसकी लम्बाई 110 गट्ठा होना रिपोर्ट में बताया गया। जबकि विप्रार्थीगण द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1001 के सम्बन्ध में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.04.2018 में जाहिर किया कि प्रार्थीगण आवगमन का रास्ता 1006 में ए से बी तक था परन्तु मौके पर बन्द करने से खसरा संख्या 1001 में से सहमति से आवगमन करते थे खसरा संख्या 1001 के खातेदारी वर्तमान में आवगमन करने नहीं दे रहे दोनो रास्तो की तुलना की जावे तो रास्ता ए से बी की

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना

Scanned by CamScanner

लम्बाई मात्र 110 गट्ठा है व सी से डी की लम्बाई 260 गट्ठा है। इस लिहाज से भी ए से बी रास्ता निकटतम है।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए बिन्दू से ए से बी विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1009 मे से होकर राजस्व कटाण सडक तक रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा.का.अ. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 1006 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा ईटवाया खसरा नम्बर 1009 के पूर्वी माठ पर तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी बरंग लाल प्रस्तावित रास्ता 12 फीट चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है।

प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार 12 फीट चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है,और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 12 नियम 70(2) के अन्तगर्त उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा चौडाई में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी। DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

प्रार्थीगण को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 12 फीट चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना

Scanned by CamScanner

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 12 फीट चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया 12 फीट चौडाई में रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नजरी नक्शा परिशिष्ट क में वरंग लाल बिन्दू ए से बी तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 18.06.2018 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Scanned by CamScanner